उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

सूचना/विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यॉत्रिक) के पदों पर सीधी भर्ती–2022

अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु उपयुक्त एवं अर्ह अभ्यर्थियों की सूचना।

संख्या–पीआरपीबी–बी–(रेडियो संवर्ग)–04/2025 दिनांक–मार्च 08 ,2025

उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यॉत्रिक) के रिक्त 936 पदों पर सीधी भर्ती–2022 की विज्ञप्ति दिनांकित 06–01–2022 के क्रम में उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा ऑनलाइन लिखित परीक्षा दिनांक 30–01–2024 से 31–01–2024 तक (कुल 03 पालियों में) उ0प्र0 के विभिन्न केन्द्रों पर आयोजित की गयी थी।

2– उक्त ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में आयोजित किये जाने के कारण विज्ञप्ति में निहित प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का प्रसामान्यीकरण किया गया है।

3– भर्ती की विज्ञप्ति के अनुसार परीक्षा में चारों विषयों में प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रसामान्यीकृत अंक प्राप्त करना अगले चरण हेतु अर्ह होने के लिये अनिवार्य है।

4– ऑनलाइन लिखित परीक्षा के बाद अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण (डीवी/पीएसटी) हेतु अभ्यर्थियों को आहूत करने के लिए संगत नियमावली के प्रावधानों, विज्ञप्ति में उल्लिखित प्रक्रिया, सुसंगत शासनादेशों एवं एतद्विषयक मा0 न्यायालयों के आदेशों के क्रम में श्रेष्ठता एवं आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये, अगले चरण अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु परिणाम घोषित किया जा रहा है।

5– ज्ञातव्य है कि मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ द्वारा विशेष अपील संख्या–70/2025 प्रशान्त कुमार मिश्रा व 03 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक 14–02–2025 पारित करके इन्जीनियरिंग की स्नातक डिग्री धारित करने वाले अभ्यर्थियों को उ0प्र0 रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक(यॉत्रिक) के पदों हेतु पात्र नहीं माना है। इस निर्णय को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पुनः विशेष अपील डिफेक्टिव संख्या–74/2025 विक्रम सिंह व 13 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा विशेष अपील डिफेक्टिव संख्या–83/2025 प्रभात कुमार पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में अलग–अलग निर्णय दिनांकित 06–03–2025 पारित करके पुष्ट किया गया है। **यद्यपि घोषित किये जा रहे लिखित परीक्षा के परिणाम में तकनीकी कारणों से डिप्लोमा व इन्जीनियरिंग की स्नातक डिग्री धारित करने वाले, दोनो तरह के अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जा रहा है जिनकी सूची संलग्न है, परन्तु शासनादेश, विज्ञप्ति दिनांकित 06–01–2022 तथा मा0 न्यायालय के उपरोक्त निर्णयानुसार इन्जीनियरिंग के स्नातक डिग्री धारक ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास निर्धारित विधाओं में 03 वर्षीय डिप्लोमा नहीं हैं, वह अगले चरण हेतु अर्ह नहीं होगें। मात्र निर्धारित विधाओं में 03 वर्षीय डिप्लोमा धारक ही अगले चरण के लिए अर्ह होगें।**

डीवी/पीएसटी की प्रक्रिया के दौरान गहनता एवं सूक्ष्मता से परीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मात्र अर्ह 03 वर्षीय डिप्लोमा धारकों को ही अगले चरण के लिये चयनित किया जाये।

6— विभिन्न श्रेणी के अर्न्तगत अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों के कटऑफ अंक निम्नवत हैं। समान कटऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण मे शामिल किया गया है। इस डीवी/पीएसटी हेतु विज्ञापित पदों के लगभग 10 गुना (कुल 9807) अभ्यर्थियों को आमंत्रित करते हुये कटऑफ जारी किया जा रहा है:—

क्रमांक	लम्बवत् श्रेणी	कटऑफ			
		लम्बवत्	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	महिला
1	अनारक्षित	306.05042	222.73454	219.42789	278.79536
2	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	274.66460	—	—	223.14828
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	289.10934	—	—	252.49682
4	अनुसूचित जाति	260.64316	—	—	213.16055
5	अनुसूचित जनजाति	219.84429	—	—	213.21782

7— उक्त अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की कार्यवाही माह—मार्च, 2025 के अन्तिम सप्ताह में कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त हेतु स्थान, तिथि एवं समय की विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट https://uppbpb.gov.in पर पृथक से प्रकाशित की जायेगी ।

8— अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उपयुक्त एवं अर्ह अभ्यर्थियों को अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने हेतु अवसर प्रदान किया जायेगा तथा उसमें सफल अभ्यर्थियो को उनके ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त प्रसामान्यीकृत अंक तथा शासनादेश एवं मा0 न्यायालयों के आदेशों के अनुसार अनुमन्य आरक्षण के आलोक में उपलब्ध पदों की संख्या के सापेक्ष चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

9— यह सूचना अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है। अतः इस विषय में सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अर्न्तगत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

10— अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा है कि अद्यतन जानकारी हेतु बोर्ड की वेबसाइट https://uppbpb.gov.in का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

अपर सचिव, भर्ती
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।